प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस खण्डपीठ के समक्ष पेश। ्र राज्य द्वारा एडीपीओउप० अ आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव उप0। फरियादी गुडियावानो उप0 इसी प्रक्रम पर उभयपक्षीं द्वारा डॉकेट राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अमिलेख पर लिया गया। फरियादी गुडियावानो की पहचान अधि०श्री पी०एन०भटेले द्वारा की गईहै। राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैकि आरोपी छोंदू के विरुद्ध भादस की धारा GRPG—72-Fortas—24-6-16—1,00,000 Forms

Orden Sheet Cantral

[II-158]
C.J.(E)

Witness No.

Description Sheet No.

294,323 एवं 506 माग-2 एवं आरोपीगण अन्नो एवं शम्मो के विरुद्ध भादस की धारा 294,323/34 एवं 506 माग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है। आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है फरियादी ने आरोपीगण से स्वेचछयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतःराजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी छोटे को भादस की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 एवं आरोपी शम्मो एवं अन्नो को भादस की धारा 294,323/34 एवं 506 भाग-2के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीर्गण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण

अभिलेखागार भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. क.1- क्या ग्रेडीस रूपी

do 2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क024 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

GRPG-493-Former-2-12-11-1,80306